न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 94/2019 दायर दिनाँक 14.03.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. हनुमानाराम पुत्र लाखुराम जाति खाती निवासी कलवानी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी

दिनाँक 15.09.2021

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 73 रकबा 1.7400 हैक्टेयर, खसरा सं0 103 रकबा 6.0700 हैक्टेयर, खसरा सं0 155 रकबा 3.1200 हैक्टेयर व खसरा सं0 324 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल रकबा 10.98 हैक्टेयर भूमि वाके कलवानी स्थित है। जिसकी खातेदारी में वादी हनुमानराम पुत्र लाखुराम की बजाय ताराचन्द पुत्र लाखाराम राजस्व रेकर्ड में गलती से दर्ज है।

यह है कि वादी का सही नाम हनुमानाराम पुत्र लाखुराम जाति खाती निवासी कलवानी है, लेकिन गांव में तारू के नाम से बतलाने पर जमाबन्दी में हनुमानाराम की बजाय सहव से राजस्व कर्मचारियों ने ताराचन्द दर्ज कर दिया। ताराचन्द व हनुमानाराम एक ही व्यक्ति है, जिसका सही नाम हनुमानाराम ही है, तथा वादी के पासपोर्ट, पहचान–पत्र, बिजली के बिल, बैंक की पासबुक, गैस कनेक्शन, परिवार राशन कार्ड आदी में सभी दस्तावेजात में वादी का नाम हनुमानराम पुत्र लाखुराम दर्ज है। वादी को सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में नाम के गलत अंकन से भारी समस्या पैदा हो गयी है। ऐसी स्थिति में वादी राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का गलत अंकन ताराचन्द पुत्र लाखाराम की जगह हनुमानाराम पुत्र लाखुराम करवाना चाहता है। जिसका वह कानूनन हकदार है। अतः वादी को दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

यह है कि प्रार्थना वादी इस प्रकार है–

यह है कि खेत खसरा सं0 73 रकबा 1.7400 हैक्टेयर, खसरा सं0 103 रकबा 6.0700 हैक्टेयर, खसरा सं0 155 रकबा [illegible] हैक्टेयर व खसरा सं0 324 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल रकबा 10.98 [illegible]यर [illegible] वाके सरहद कलवानी की खातेदारी में वादी [illegible] के नाम के गलत [illegible] ताराचन्द पिता लाखाराम की जगह हनुमानाराम पुत्र लाखुराम किया जा[illegible] राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 435 दिनांक 12.03.2020 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 435 दिनांक 12.03.2020 के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 73, 103, 155, 324 में खातेदार का नाम ताराचन्द पुत्र लाखाराम के स्थान पर हनुमानाराम पुत्र लाखुराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद कलवानी में तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 73, 103, 155, 324 में खातेदार का नाम ताराचन्द पुत्र लाखाराम के स्थान पर हनुमानाराम पुत्र लाखुराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **15.09.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 94/2019 दायर दिनाँक 14.03.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. हनुमानाराम पुत्र लाखुराम जाति खाती निवासी कलवानी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 15.09.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद कलवानी में तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 73, 103, 155, 324 में खातेदार का नाम ताराचन्द पुत्र लाखाराम के स्थान पर हनुमानाराम पुत्र लाखुराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............
.......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.09.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान					

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:57 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner